प्रेस विज्ञप्ति
24.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय, नई दिल्ली ने 18 और 19 सितंबर, 2025 को बी. सी. जिंदल और श्याम सुंदर जिंदल की समूह कंपनियों, उनके निदेशकों और अन्य पदाधिकारियों से जुड़े 13 परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी लिए गए ये परिसर दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में स्थित थे। ये तलाशी बी. सी. जिंदल समूह की संस्थाओं, विशेष रूप से जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (जेआईटीपीएल), जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड द्वारा उनके विदेशी निवेशों, उनकी विदेशी संस्थाओं में धन जमा करने और उनके धन की राउंड ट्रिपिंग के संबंध में फेमा के संदिग्ध उल्लंघन के लिए ली गई।

ईडी ने इस विशेष सूचना के आधार पर जांच शुरू की थी कि श्याम सुंदर जिंदल, उनकी पत्नी श्रीमती शुभद्रा जिंदल और बेटे श्री भावेश जिंदल के स्वामित्व वाली बी. सी. जिंदल समूह की संस्थाओं ने ओडीआई की आड़ में गार्नेट एंटरप्राइज डीएमसीसी (जीईडी) नामक एक अन्य विदेशी संस्था की शेयरधारिता हासिल करने के लिए भारत से बाहर उनकी विदेशी संस्था टोपाज़ एंटरप्राइज डीएमसीसी, दुबई को 505.14 करोड़ रुपये धन-प्रेषित किए थे।

यह पाया गया कि वित्त वर्ष 2013-2014 और वित्त वर्ष 2016-17 के बीच जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड (जेपीएफएल) ने जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड में कुल 703.79 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया, जिसे आगे ओडिशा में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए जेआईटीपीएल में निवेश किया गया। वित्त वर्ष 2018-19 में, जेआईपीएल से 703.79 करोड़ रुपये के निवेश की वसूली करने के बजाय, जेपीएफ़एल ने उसे बट्टे खाते में डालने का विकल्प चुना और इसे अपने ही प्रमोटरों और समूह की कंपनियों को भारी नुकसान पर बेच दिया, जो आम निवेशकों के पैसे की हेराफेरी है क्योंकि जेपीएफएल एक सूचीबद्ध संस्था है।

इसके बाद, मई 2024 में, जेआईपीएल को तरजीही शेयरों/अधिमान्य शेयरों के मोचन के माध्यम से जेटीपीएल से 853.72 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जेआईपीएल ने यह राशि सूचीबद्ध इकाई जेपीएफएल को चुकाने के बजाय, इसमें से 505.14 करोड़ रुपये श्याम सुंदर जिंदल की दुबई स्थित निजी इकाई, टोपाज़ एंटरप्राइज डीएमसीसी, को हस्तांतरित कर दिए, ताकि गार्नेट एंटरप्राइज डीएमसीसी में 100% हिस्सेदारी हासिल की जा सके।

यह पाया गया कि गार्नेट एंटरप्राइज डीएमसीसी, दुबई, टोपाज़ एंटरप्राइज डीएमसीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह भी पता चला कि गार्नेट एंटरप्राइज डीएमसीसी, दुबई की जिंदल पॉलीफिल्म नीदरलैंड्स बी.वी. में 48% हिस्सेदारी है, इसी अनुक्रम में, इसकी अन्य सहायक कंपनियों, जैसे जेपीएफ डच बी.वी.; जेपीएफ यूएसए होल्डिंग एलएलसी, यूएसए और अन्य विदेशी संस्थाओं में 100% हिस्सेदारी है। ये सभी विदेशी संस्थाएँ श्याम सुंदर जिंदल और उनके परिवार के स्वामित्व में हैं।

ऐसा संदेह है कि बीसी जिंदल समूह ओडीआई की आड़ में अपने धन को देश से बाहर भेज रहा है और उसे देश के बाहर पार्क कर रहा है। तलाशी कार्रवाई के दौरान, विदेशी संस्थाओं, इसके अधिग्रहण आदि से संबंधित कुछ दस्तावेज़ बरामद हुए हैं। दस्तावेज़ों के अनुसार, श्याम सुंदर जिंदल टोपाज़ एंटरप्राइज डीएमसीसी के लाभकारी स्वामी और 100% शेयरधारक हैं और वे इस संस्था और अन्य विदेशी संस्थाओं के वित्तीय नियंत्रण वाले प्रमुख व्यक्ति हैं।

तलाशी अभियान के दौरान बरामद दस्तावेजों से पता चला है कि 505.14 करोड़ रुपये की राशि फर्जी लेनदेन के जरिए भारत से बाहर ओडीआई के रूप में हस्तांतरित की गई है, जो विदेशी इकाई के शेयरों के फर्जी मूल्यांकन पर आधारित थी। दो मूल्यांकनकर्ताओं से दो अलग-अलग मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुईं, जो एक-दूसरे से संबंधित थे, जिससे पता चलता है कि देश के बाहर अधिक धन प्रेषण को सक्षम करने के लिए मूल्यांकन बढ़ाया गया था।

आंकड़ों के अनुसार, श्याम सुंदर जिंदल और उनके समूह की संस्थाओं के पास नीदरलैंड बी. वी., यूएसए; बेल्जियम, इटली; केर्केड बी. वी., लक्जमबर्ग; सिंगापुर, चीन; संयुक्त अरब अमीरात; जर्मनी आदि में स्थित कई विदेशी संस्थाएं हैं और यह संदेह है कि भारत से धन इन विदेशी संस्थाओं में फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रखा गया है।

श्याम सुंदर जिंदल तलाशी के दौरान भारत में उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वे आधिकारिक काम का हवाला देकर हांगकांग चले गए थे और अभी तक भारत नहीं लौटे हैं। वे अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।

आगे की जांच जारी है।

****